संख्या- 2639 /62-2-2010-2/3(42)/2009टी0सी0

प्रेषक,

डा0 एस0के0 पाण्डेय,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- **मुख्य अभियन्ता,**
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2- **संबंधित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता,**
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग-2 लखनऊ दिनाँक 22 जुलाई, 2010

विषयः- वित्तीय वर्ष 2010-11 में लघु सिंचाई विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जनपदवार मासिक/त्रैमासिक कार्ययोजना।

महोदय,

उक्त विषयक शासनादेश संख्या-1518/62-2-2010-2/3(42)/2009, दिनांक 15.04.2010 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त आर0आई0डी0एफ0-15 के अन्तर्गत सामुदायिक ब्लास्टकूपों के निर्माण/जीर्णोद्धार की योजना की कार्य योजना को निम्नानुसार संशोधित किया जाता हैः-

अ- प्रस्तावित कूपों का निर्माण एवं पुराने कूपों का जीर्णोद्धार संबंधित कार्य किये जाने की निर्धारित तिथि-

क0सं0	कार्य का नाम	कार्य पूर्ण किये जाने की तिथि
1-	कूपों का सर्वे एवं गठित जल उपभोक्ता समूहों के प्रशिक्षण का कार्य	दिनांक 20.07.2010 तक
2-	कूपों के निर्माण एवं पुराने कूपों के जीर्णोद्धार हेतु निविदा आमंत्रित करना	दिनांक 25.07.2010 तक
3-	निविदा को अन्तिम रूप दिया जाना	दिनांक 31.08.2010 तक
4-	समूह गठित कर कार्य प्रारम्भ किया जाना	दिनांक 10.09.2010 तक

ब- प्रस्तावित/अनुबंधित भौतिक कार्य माह सितम्बर, 2010 से 31 जनवरी, 2010 तक पूर्ण किये जाने हैं, जिसका मासिक स्तर निम्नवत् है-

Singh-347-hp

क0 सं0	माह	कार्य का स्तर प्रतिशत में
1–	सितम्बर, 2010	10
2–	अक्टूबर, 2010	15
3–	नवम्बर, 2010	25
4–	दिसम्बर, 2010	25
5–	जनवरी, 2010	25

स– समस्त वित्तीय लक्ष्य एवं भुगतान दिनांक 15.02.2011 तक पूर्ण किया जाना।

3– इस सीमा तक उपरोक्त शासनादेश संख्या–1518/62–2–2010–2/3(42)/2009, दिनांक 15.04.2010 का संलग्नक–10 संशोधित समझा एवं पढ़ा जाय तथा तद्नुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय

(डा0 एस0के0 पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या 2639 (1)62–2–2010तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः––

1–निजी सचिव, मा0 मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) लघु एवं सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0 प्र0 शासन।
2–प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उ0 प्र0 शासन।
3–प्रमुख सचिव,ग्राम्य विकास विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
4–प्रमुख सचिव,नियोजन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
5–प्रमुख सचिव,वित्त विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
6–प्रमुख सचिव,समाज कल्याण विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
7–स्टाफ आफीसर,मुख्य सचिव,उत्तर प्रदेश शासन।
8–स्टाफ आफीसर,कृषि उत्पादन आयुक्त,उत्तर प्रदेश शासन।
9–संबंधित मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश।
10–संबंधित जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
11–संबंधित मुख्य विकास अधिकारी,उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

Singh-348-hp